



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 कार्तिक, 1946 (श०)

संख्या - 736 राँची, मंगलवार, 19 नवम्बर, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2024

संख्या-1/पी०-101/2022 का०- 6355--मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी (JSLPS), राँची के पद पर पदस्थापित श्री मंजूनाथ भजन्त्री, भा.प्र.से (झा:2011) (अतिरिक्त प्रभार-मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक राँची जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे ।

संख्या-1/पी०-101/2022 का०- 6356--परियोजना निदेशक, झारखण्ड एड्स कंट्रोल सोसायटी, राँची के पद पर पदस्थापित श्री पवन कुमार, भा.प्र.से. (झा:2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रभारी प्रमण्डलीय आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पद पर अपने ही वेतनमान में नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-1/पी०-101/2022 का०- 6357--अपर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री रंजीत कुमार लाल, भा.प्र.से. (झा:2014) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लि०, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-1/पी०-101/2022 का०- 6358--निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री शशि प्रकाश सिंह, भा.प्र.से. (झा:2017) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जामताड़ा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे ।

संख्या-1/पी०-101/2022 का० 6359--निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री उत्कर्ष गुप्ता, भा.प्र.से. (झा:2017) (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक लातेहार जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे ।

संख्या-1/पी०-101/2022 का०- 6360--उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री मनीष कुमार, भा.प्र.से. (झा:2018) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पाकुड़ जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे ।

2. इस अधिसूचना के क्रम में प्रभार रहित पदाधिकारी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रवि आनन्द,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
